

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-11/2017/

दिनांक:

--आदेश--

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ.14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड/ च. वेतनमान	देय पे ग्रेड
1.	आद राम बिस्सु, नर्स प्रथम	बीकानेर	10.07.90	10.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
2.	महेश कुमार श्रीमाली, नर्स प्रथम	बीकानेर	09.07.90	09.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
3.	बलतेज सिंह, नर्स प्रथम	हनुमानगढ़	08.07.90	08.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
4.	सुभाष चन्द्र, नर्स प्रथम	हनुमानगढ़	10.07.90	10.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
5.	नरेन्द्र कुमार कौशिक, नर्सिंग ट्यूटर	बीकानेर	12.07.90	12.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
6.	चेतनराम, नर्स प्रथम	बाड़मेर	24.09.98	24.09.16 18 वर्ष	9300-34800	5400
7.	मुल्लानाराम, नर्स प्रथम	जैसलमेर	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
8.	किल्लाराम, नर्स प्रथम	जैसलमेर	21.06.90	21.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
9.	बलदेव सिंह, नर्स प्रथम	चूरु	21.06.89	21.06.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
10.	महेश कुमार शर्मा, नर्स प्रथम	कोटा	20.08.90	20.08.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
11.	असरुद्दीन, नर्स प्रथम	अलवर	14.07.90	14.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
12.	फारुख मोहम्मद, नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	01.07.90	01.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
13.	रोशनलाल जैन, नर्स प्रथम	डूंगरपुर	19.07.90	19.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
14.	राजेश शर्मा, नर्स प्रथम	डूंगरपुर	04.10.89	04.10.16 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 29-12-2017

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-11/2017/710

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, ईएसआई योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षक, पी0बी0एम0 चिकित्सालय, बीकानेर/महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़/बाड़मेर/जैसलमेर/चूरु/अलवर/चित्तौड़गढ़/डूंगरपुर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हनुमानगढ़/बालोतरा (बाड़मेर)/जैसलमेर/सुजानगढ़ (चूरु)।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर